न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 86 / 2018

1 राज बिजेन्द्र उम्र वयस्क पुत्र झुंथाराम।

2 अणची देवी उम्र व्यस्क पत्नी झुंथाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महताबसिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र रामनाथ।

2 संदीप उम्र व्यस्क पुत्र छोटुराम।

3 मुंशीराम उम्र व्यस्क पुत्र रामनाथ समस्त जाति जाट निवासीगण भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

4 गुलाब उम्र व्यस्क पत्नी प्रकाश।

5 मुन्नी उम्र व्यस्क पत्नी महीपाल।

6 मुनेष पुत्री छोटुराम उम्र व्यस्क माता रामरती समस्त जाति जाट निवासीगण जाटुवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

7 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

8 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

9 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
मुकदमा उनवानी महताबसिंह बनाम अणचीदेवी
मुकदमा नम्बर 182 / 2015 निर्णय दिनांक 25.05.18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पेदन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 182/2015 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 568 रकबा 1.10 अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि है जिसकी उतरी पूर्वी के सहारे रास्ता पुख्ता सड़क ग्राम भालोठ से पचेरी को जाती है उक्त पुख्ता सड़क से आवेदकगण से खेत व आवेदक संख्या 1 के खेत में बने सिंचाई हेतु कुप व रिहायसी मकान में जाने हेतु रास्ता दिया जाना सम्भव है उक्त पुख्ता सड़क से नजदीक अन्य कोई रास्ता आवेदक के खेत में खसरा नम्बर 570 से सटकर नहीं है। आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 570 में आने जाने हेतु अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के खेत खसरा नम्बर 568 की उतरी पूर्वी मेड से जाने वाली पुख्ता सड़क से 12 फिट चौडाई में रास्ता कायम किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 11.06.2015 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित है। यही विवेचन निर्णय में भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया है किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली पर 11.06.2015 की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। धारा 251ए में पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्वीकार्य नही होती है धारा 251ए के सन्दर्भ में नियम 69 में यह व्यवस्था है कि मौका रिपोर्ट आईएलआर से नीचे के अधिकारी द्वारा तैयार नही की जायेगी। अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अत आवेदन चलने योग्य नही है। मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नही की गई है। खसरा नम्बर 570 व 569 पूर्व में एक ही पूर्वज के सन्तानों की थी विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2018 पेज 290, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 649, आर. आर.टी. 2017(1) पेज 423, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1193 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कियें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपील मेमों के तथ्यों के विपरित बहस की है। फार्म नम्बर 1 के सभी तथ्य हमारे प्रार्थना पत्र में अंकित है। निकटतम रास्ते की मांगी की गई है दिनांक 11.06.2015 की रिपोर्ट आई.एल.आर. की है पटवारी की नही है। यह रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है जो निर्णय का भाग है। निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070 से 73 में आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 570 में आवेदक मेहताब सिंह के साथ उसका भाई मुन्शीराम भी बराबर का खातेदार काश्तकार दर्ज है। आवेदन केवल मेहताब सिंह की औरं से किया गया है पत्रावली में दिनांक 23.07.2015 की पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है। इसके अतिरिक्त दिनांक 11.06.2015 की आई. एल.आर. की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। विचारण न्यायालय की पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की आदेशिका दिनांक 11.06.2015 में अंकित है कि पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

वरवक्त बहस आवेदनकर्ता के भाई मुंशीराम का शपथ पत्र अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमें अंकन है कि ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1164/570 रकबा 0.84 हैक्टेयर मेरी खातेदारी व कब्जे कास्त की भूमि है तथा भूमि खसरा नम्बर 1136/570 रकबा 0.84 हैक्टेयर का खातेदार मेरे सगे भाई महताब सिंह पुत्र रामनाथ की है। उक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 1663/570 व 1664/570 गत खसरा नम्बर 570 रकबा 1.68 हैक्टेयर से बना है जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के निर्णय से मेरा व मेरे भाई का खाता विभाजन दिनांक 25.05.2018 को हो गया था। गत खसरा नम्बर 570 के दक्षिणी भाग पर जो कि भूमि हाल खसरा नम्बर 568 रकबा है के साथ मयालजोड़ में कब्जे कास्त की भूमि लगभग 40 वर्षो से है तथा मेरे उतर की और मेरे भाई महताब सिंह का कब्जा कास्त है और उसी कब्जे के आधार पर खाता विभाजन होकर उसके हिस्से में हाल खसरा नम्बर 1163/570 रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज किया गया है। मेरे भाई के खेत में बने मकानात पर राजविजेन्द्र व उसके हिस्सेदारों के खेत खसरा नम्बर 568 में से कभी रास्ता नही रहा है। मेरे भाई के मकानात तक रास्ता आम सड़क भालोठ पचेरी से उतर में स्थित हाल खसरा नम्बर 569 सत्यवीर पुत्र लच्छुराम के खेत की पूर्वी म्याल से होते हुए स्थित है जो खुला है जिससे मेरा भाई व उसका परिवार गाड़ी, ट्रेक्टर वगैरह लेकर जाता है उनके घरो से सड़क तक वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। मेरे भाई महताब सिंह ने एक आवेदन पत्र महताब सिंह बनाम राजविजेन्द्र सिंह आदि अ0 धारा 251क आर.टी.एक्ट में न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बुहाना में पेश किया था जिसमें मुझे पक्षकार ही नहीं बनाया था। राजविजेन्द्र आदि व मेरे भाई महताब सिंह के खेतों के बीच मेरी खातेदारी की भूमि हाल खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 1164/570 स्थित है। मुझे राजविजेन्द्र आदि के खेत हाल खसरा नम्बर 568 में से रास्ता नहीं चाहियें।

प्रकरण में उपरोक्त विसंगतियों एवं आवेदक के भाई मुंशीराम के शपथ पत्र के कथनों का अवलोकन करने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही पाया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, आपत्ति का समुचित अवसर प्रदान करें, अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवायें एवं प्रकरण में वैकल्पिक रास्ते के सन्दर्भ में जांच कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर